20

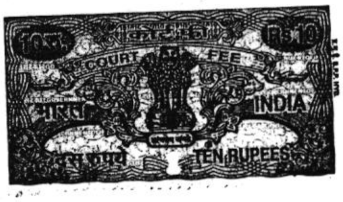

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर म.प्र.

प्रकरण क्रमांक /2017 निगरानी I/निगरानी/शिवपुरी/भू.रा./2017/1967

1. रामस्वरूप पुत्र श्री लोहरे
2. सरवन पुत्र श्री लोहरे
3. पूरम पुत्र श्री शिवचरण
4. प्रताप पुत्र श्री रामस्वरूप
5. पदम पुत्र श्री रामस्वरूप
6. भूरा पुत्र श्री रामस्वरूप
7. महेन्द्र पुत्र श्री जवाहरलाल
8. कल्ला पुत्र श्री सरमन
9. लोकेन्द्र पुत्र श्री राजाराम

दिनांक 29.6.17 को श्री ... श्रीवास्तव अभि० द्वारा प्रस्तुत। 29.6.17

समस्त जाति रावत, समस्त व्यवसाय–कृषि
निवासीगण–ग्राम टोड़ा तहसील बेराड़
जिला शिवपुरी .... **आवेदकगण**

बनाम

नरेन्द्र पुत्र श्री राजाराम जाति धाकड़,
निवासी–ग्राम टोड़ा, तहसील बेराड़
जिला शिवपुरी ....**अनावेदक**

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू रास्व संहिता 1959 विरूद्ध श्रीमान तहसीलदार बेराड़ द्वारा प्रकरण क्रमांक 2/16–17 /अ–70 में पारित आदेश दिनांक 24.06.2017

2017 June-135

निगरानीकर्तागण की ओर से निगरानी निम्न प्रकार प्रस्तुत है :–

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश – ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक एक / निगरानी / शिवपुरी / भू.रा. / 2017 / 1967 **जिला** – शिवपुरी

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
२२–11–17	प्रकरण का अवलोकन किया एवं उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया। यह निगरानी तहसीलदार बैराढ़ के प्रकरण कमांक 02 / 16–17 / अ–70 में पारित आदेश दिनांक 24.06.2017 के विरुद्ध पेश की गई है। तहसीलदार के उक्त आलोच्य आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि उनके द्वारा दिनांक 24.06.2017 को आदेश पारित किया गया है :– प्ररकण पेश। आवेदक मय अधिवक्ता उपस्थित प्रकरण पूर्ववत। सी.एफ. 04.07.2017 उक्त आदेश से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा किसी प्रकार का कोई आदेश पारित नहीं किया गया है। आवेदक द्वारा उक्त आदेश के विरुद्ध निगरानी प्रस्तुत करना यह दर्शाता है कि आवेदक जान–बूझकर प्रकरण को लंबित रखना चाहते हैं, जो न्यायसंगत नहीं है। तहसीलदार के अभिलेख को देखने से यह भी स्पष्ट होता है कि उनके द्वारा प्रकरण में दिनांक 17.07.2017 को अंतिम आदेश पारित किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में यह निगरानी निरर्थक हो जाती है। परिणामतः यह निगरानी निरस्त की जाती है। उभयपक्ष सूचित हों, अभिलेख वापिस हों। प्रशासकीय सदस्य	